पटवारी के बयान हो [illegible] हो प्रतिवादी के
1, 2, 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है
आदेश 25/ प्रति० क्र० 3, 5 की तरफ से
जवाब प्राप्त होकर साक्ष्य पटवारी हो

राजस्थान सरकार

(फार्म 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल 1?0 आर्डर [illegible] 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible] जिला [illegible] (राज.)

2019/00236 ✓

केस मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख नंबर	तारीख [illegible]	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
175	66/19	17/9/19		03.5.24 7.6.24 21.6.24 12.7.24 15/7/24 29/7/24 5/8/24 ~~[illegible]~~ 12/8/24 22/8/24 [illegible] 5/9/24 [illegible]/9/24

बनाम

श्री राज० सरकार जरिये तहसीलदार V/S श्री धर्मराज पिता लालु वगैरह भील तिवारी ओरी
रमेश पिता दुर्गालाल बंजारा

निवासी चित्तौड़गढ़ निवासी चम्पापुर

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट
जगदीशचन्द्र धाकड़ (प्रतिवादी सं० 5 की ओर से)

छिप्रतिदार

मार्फत

श्री .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

.... बनाम ....

केस्म मुकदमा .... नम्बर .... सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.09. 019	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 30.10.2019 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
30/10/19	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगणों की [illegible] तामील प्राप्त हुई। श्रीमान P.O. सा. स्थानान्तरणाधीन होने से न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली वास्ते जवाब/तलबी दिनांक 27.11.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा	प्रतिवादी नं. 5 की ओर से V/T ली
27-11-19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. ~~दौरे पर है~~ स्थानान्तरणाधीन। प्रत्रावली दिनांक 1-1-20 को वास्ते जवाब/तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
1/1/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 29.1.20 को वास्ते जवाब/तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
29.1.2020	[illegible] हुई। अभिभाषक [illegible] [illegible] श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है [illegible] दिनांक 26.2.20 को वास्ते जवाब/तलबी उप खण्ड अधिकारी	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

राज सरकार बनाम धनराज

किस्म मुकदमा धारा 175 प्रकरण संख्या 66/19

GCMS नम्बरः– 2019/00236

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/3/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए व पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 66 / 2019

दायर तारीख 19.09.2019

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

1. धर्मराज पिता लालू जाति मीणा निवासी आंटी
2. बदाम पुत्री लालू जाति मीणा निवासी आंटी
3. कमला पुत्री लालू जाति मीणा निवासी आंटी
4. बरजी पत्नी लालू जाति मीणा निवासी आंटी
5. रमेश पिता दुर्गालाल बंजारा, नि0 चम्पापुर,
   तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।

02. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 05 की ओर से

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 175 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 11 /09/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अन्तर्गत **धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा की आराजी नं0 422 रकबा 3.04 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय प्रतिवादी नम्बर 1 से लगायत 4 तक के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा की आराजी नं0 422 रकबा 3.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण क्र0सं0 1 से लगायत 4 के पिता लालू पिता मेघा मीणा निवासी आंटी द्वारा दिनांक 04.06.1999 विक्रय इकरार सम्पादित कर रमेश पिता दुर्गा बंजारा निवासी चम्पापुर के नाम किया गया। ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा की आराजी नं0 422 रकबा 3.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण क्र0सं0 1 से लगायत 4 तक द्वारा अपनी खातेदारी पर हकाई बुआई करने गये तब जानकारी होते ही धारा 183 (बी) रा0का0अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब के साथ साक्ष्य दस्तावेज सूची में विक्रय इकरार नोटेरी से तस्दीक शुदा पेश किया तथा जवाब में अंकित किया कि रा0का0अ0 1955 की धारा 42(2) के अधीन विक्रय पत्र शून्य

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

माना जाता है। तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 4 के खातेदारी अधिकार नही रहने से यह स्थिति उत्पन्न होने से प्रकरण तैयार किया गया । ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा की आराजी नं0 422 रकबा 3.04 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण क्र0सं0 1 से लगायत 4 के पिता श्री लालू पिता मेघा निवासी आंटी द्वारा दिनांक 04.06.1999 को विक्रय इकरार तादादी स्टाम्प 100/– रू0 पर बिल एवज 48000/– (अक्षरे अडतालीस हजार रू0) लिखा जाने के पश्चात् कब्जा प्रतिवादी संख्या 5 को सिपुर्द किया गया । जब से ही उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 द्वारा खातेदारी अधिकार की पालना नही कर अवहेलना की गयीं ।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम आंटी की आराजी नं. 422 रकबा 3.04 बीघा भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 के खातेदारी अधिकार समाप्त कराते हुऐं बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 बावजूद इतिल्ला गैर हाजिर रहने से दिनांक16.06.2023 को विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। तथा विपक्षीगण संख्या 5 का जवाब संलग्न हैं। विपक्षीगण संख्या 5 रमेश पिता दुर्गालाल बंजारा, नि0 चम्पापुर,तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा ने जवाब में अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 पति लालु पिता मेघा मीणा ने मुझ जवाबदाता को वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 422 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिफल धनराशि 48000/– रूपयें में दिनांक 04.06.1999 को विक्रय कर दी थी जिसका विक्रय इकरार पत्र लालु पिता मेघा द्वारा निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवा कर मुझ जवाबदाता को कब्जा सिपुर्द दिया तब से ही उक्त वादग्रस्त भूमि मुझ जवाबदाता के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि पर कभी भी हकाई बुआई करने नही आये क्योकि वादग्रस्त भूमि पर विक्रय इकरार पत्र दिनांक 04.06.1999 से जवाबदाता का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 अपनी जाति का अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जवाबदाता को परेशान करने के लिये गलत व झूठी कार्यवाही करवा रहे हैं। जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को विक्रय करने की सम्पूर्ण जानकारी थी।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 207 ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति संलग्न की हैं।

प्रकरण में वादी ने साक्ष्यवादी में सुनिता कुमारी पिता मन्नाराम जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष पेशा नोकरी हाल पटवारी गुढ़ा निवासी रघुनाथगढ (सीकर) के बयान. लेखबद्ध करवाये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार एवं अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 5 की बहस पर मनन किया।

लगातार पेज संख्या 03 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत **धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नं0 422 रकबा 3.04 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 से लगायत 4 (धर्मराज, बदाम, कमला, बरजी) तक के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 11/09/**2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 66 / 2019 — दायर तारीख 19.09.2019

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........डिक्रीदार

बनाम्

1. धर्मराज पिता लालू जाति मीणा निवासी आंटी
2. बदाम पुत्री लालू जाति मीणा निवासी आंटी
3. कमला पुत्री लालू जाति मीणा निवासी आंटी
4. बरजी पत्नी लालू जाति मीणा निवासी आंटी
5. रमेश पिता दुर्गालाल बंजारा, नि0 चम्पापुर, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

........मदयूनान

उपस्थित :— 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 05 की ओर से

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 11 / 09 / 2024
डिक्री दिनांक : 11 / 09 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 05 श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ को मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :—

वादपत्र अन्तर्गत **धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रुप से डिक्री** किया जाकर ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नं0 422 रकबा 3.04 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय भूमि से प्रतिवादी नम्बर 1 से लगायत 4 (धर्मराज, बदाम, कमला, बरजी) तक के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 / 09 / 2024 को जारी की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियां)

नीज ....Nil.................................

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ....मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
तारीख वसूलयाबी तक .... Nil .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से
............................का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)